2026:AHC:80420

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या - 11253 वर्ष 2026

रचित वधवा और 2 अन्य .....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य .....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : बृज किशोर सिंह, संदीप कुमार

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

<u>न्यायालय संख्या - 77</u>

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन प्रकरण अपराध संख्या से उत्पन्न प्रकरण संख्या 2359 वर्ष 2020 की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग के लिए प्रस्तुत किया गया है। धारा 406, 407, 420 भारतीय दंड संहिता के तहत 2018 का प्रकरण संख्या 0932, थाना कोतवाली ओराई, जिला जालौन और दिनांक 8.8.2019 और 06.06.2020 की आरोप-पत्र के साथ-साथ ओराई स्थित जालौन के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 17.10.2020 को जारी किया गया समन आदेश।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ संज्ञान/समन आदेश और आरोप-पत्र को भी चुनौती दी है, ठीक इस आधार पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 2024 10 एससीसी 690** में प्रकाशित के प्रकरण में स्थापित विधि के अनुसार धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ लागू नहीं की जा सकतीं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:-

> *"38. हमारी राय में, शिकायत को पढ़ने से पूर्व उल्लिखित तत्वों में से कोई भी स्पष्ट नहीं होता है। पुलिस और अवर न्यायालयों के मन में कानून की एक गंभीर गलतफहमी को दूर करने के लिए हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि शिकायतकर्ता का यह प्रकरण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version, Not for Legal Use.

तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय है, आरोपी द्वारा किया गया है, तो इसे एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है।" कहा गया है कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित और स्पष्ट किए गए धोखाधड़ी के अपराध को भी अंजाम दिया है, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।

41. केवल अनुबंध के उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात एवं धोखाधड़ी के अपराध के बीच अंतर सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के प्रकरण में, प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे की जांच की जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र मापदंड नहीं है। केवल अनुबंध के उल्लंघन से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन नहीं हो सकता जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही कपटपूर्ण या बेईमान इरादा न दिखाया गया हो, यानी उस समय से जब अपराध किया गया माना जाता है। इसलिए, यही इरादा अपराध का सार है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी में अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, झूठा या भ्रामक बयान देते समय, यानी शुरुआत से ही, आपराधिक इरादा होना आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात में, केवल सौंपे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के प्रकरण में, अपराधी को वैध रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के प्रकरण में, अपराधी कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उससे कोई संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और भिन्न हैं। दोनों अपराध एक ही परिस्थिति में एक साथ नहीं हो सकते। वे एक दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के दो प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए कानून के स्थापित सिद्धांत पर विवाद करने में असमर्थ हैं।

5. चूंकि, आवेदक के कहने पर केवल कानूनी तर्क उठाया गया है, इसलिए प्रतिपक्षी संख्या 2 को सूचना जारी करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, प्रकरण के अभिलेख और **दिल्ली रेस क्लब (पूर्व)** प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की दोनों धाराएं यानी धारा 420 और 406 एक साथ लागू नहीं हो सकतीं और इस प्रकार, दिनांक 17.10.2020 का संज्ञान/समन आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि **दिल्ली रेस क्लब (पूर्व**) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनाया गया है दिनांक 23.08.2024 को पारित और वर्तमान प्रकरण में अपराध का संज्ञान दिनांक 17.10.2020 को लिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कनिष्क सिन्हा और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य [2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 443]** के प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमेशा पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा, जब तक कि निर्णय में स्पष्ट रूप से यह न कहा गया हो कि निर्णय भविष्य में लागू होगा।

7. इसके मद्देनजर, दिनांक 17.10.2020 को प्रकरण संख्या 2359 वर्ष 2020 में धारा 406, 407, 420 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण अपराध संख्या 0932 वर्ष 2018 से संबंधित प्रकरण में पारित संज्ञान/समन आदेश, थाना कोतवाली ओराई, जिला जालौन, केवल आवेदक के संबंध में रद्द किया जाता है। प्रकरण को संबंधित न्यायालय को पुनः भेजा जाता है ताकि संज्ञान लेने का नया आदेश पारित किया जा सके। यदि आवश्यक हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (पूर्व)** प्रकरण में निर्धारित कानून के सिद्धांत के आलोक में अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

8 अप्रैल, 2026

शाश्वत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।